न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 619/2026

02.06.2026 आवेदक **शिव कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **परिवाद पत्र संख्या 386 सी/2023** अन्तर्गत **धारा 420 भा0 द0 वि0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पियुष कुमार भारती एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी का वाद संक्षेप में यह है कि परिवादी मर्चेन्ट नेवी जी. पी. रेटिंग कोर्स का ट्रेनिंग वर्ष 2020 में कलकत्ता से तथा टेकर का कोर्स मुम्बई से किया है, इसमें प्लेसमेन्ट का शीप पर चढ़ाने हेतु मुम्बई में अभियुक्त शिव कुमार जो ऐजेन्ट का काम करता है, उससे प्रार्थी बात किया। बातचीत में शीप टेकर में चढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन लोडिंग काफट में चढ़ाया। इसके लिए शीप पर चढ़ाने हेतु ऐजेन्ट ने प्रार्थी की बात अभियुक्त मनोरंजन शर्मा जो एम0 ए0 शिपिंग कम्पनी के डायरेक्टर है तथा उसी कम्पनी के स्टाप अमित कुमार सिन्हा से बात कराया। अभियुक्त संख्या–अभियुक्त शीप पर चढ़ाने हेतु 3,00,000/– (तीन लाख) रूपया का मांग किये प्रार्थी ने 2,90,000/– (दो लाख नब्बे हजार) रूपये देने की बात स्वीकार किया। अभियुक्त संख्या–01 एवं 02 ने कहा अभियुक्त 03 शिव कुमार के खाते में पैसा भेज दीजिए तब हमलोग प्रार्थी को जहाज पर चढ़ा देंगे। यह कि प्रार्थी ने अभियुक्त 3 शिव कुमार के खाते में अपने पिता जी के द्वारा पिता के खाते से खाता संख्या–10746501119, भारतीय स्टेट बैंक, बासुदेवपुर (मुंगेर) से 1,00,000/– (एक लाख) रूपये शिव कुमार के खाता नं0–047405003104 तथा आई एफ एस सी कोड–आई सी आई सी 0000474 में रूपये ट्रान्सफर कर दिया तथा प्रवेश कुमार चौधरी के खाता संख्या–583610110014655, आई एफ एस सी– बी के आई डी 0005836, ब्रांच बरियारपुर, बैंक ऑफ इंडिया (मुंगेर) से 85,000/– (पचासी हजार), पंचानंद साह खाता संख्या–583610110016410, आई एफ एस सी बी के आई डी 0005836, ब्रांच बरियारपुर, बैंक ऑफ इंडिया (मुंगेर) से 50,000/– (पचास हजार) और सतीश कुमार पेसर अनिल कुमार बैंक ऑफ बड़ोदा खाता–एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स 0374 से 55,000/– (पचपन हजार) कुल राशि 2,90,000/– (दो लाख नब्बे हजार) प्रार्थी के पिता तथा प्रार्थी के साथी से कर्ज लेकर उसी खाता संख्या पर ट्रान्सफर कर भेजा गया। प्रार्थी को अभियुक्त 3 ने अभियुक्त संख्या–1 मनोरंजन शर्मा से मुलाकात कराया तत्पश्चात मेडिकल कराने के नाम पर 8,000/– (आठ हजार) रूपये प्रार्थी ने मनोरंजन शर्मा को दिया। प्रार्थी का मेडिकल हुआ

02.6.2026

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 619/2026
जमानत आदेश दिनांक 02.06.2026

लगातार
02.06.2026

तथा एग्रीमेंट पेपर बना जिसमें एम. टी. एल. यू. एन. आई. एस. सीप पे जहाज पर चढ़ाया जाना कबूल हुआ लेकिन ए एल–एस एच ए आर क्यू आई वाई ए एस एच जहाज पर चढ़ा दिया गया। यह कि, प्रार्थी को दिनांक 28/12/2022 को प्लेन ए एल–एस एच ए आर क्यू आई वाई ए एस एच जहाज पर चढ़ा कर योगदान लेने लगा प्रार्थी को जनवरी 2023 का सैलरी भी मिला और फरवरी 2023 का सैलरी नहीं दिया। सैलरी मॉगने पर ए एल–एस एच ए आर क्यू आई वाई ए एस एच कैप्टन द्वारा साईन ऑफ पेपर देकर जहाज से उतार दिया और कहा चले जाओ तुम्हारी नौकरी समाप्त हो गई। प्रार्थी को ओमान में जो सैलरी दिया गया वह 115 (एक सौ पन्द्रह) रियाल जो भारतीय पैसा से 26,000/– (छब्बीस हजार रू0) होता है। यह कि प्रार्थी नौकरी से हटाने का विरोध किया तो उक्त जहाज के कैप्टन ने बारी–बारी से तीनों अभियुक्त से सबात कराया तो सभी अभियुक्तगण ने एक स्वर में कहा कि जान बचाकर भागें नहीं तो समुद्र में फेकवा देंगे लाश भी नहीं मिलेगा। यह कि जिस समय पैसा का लेन–देन की बात मुम्बई में अभियुक्तगण से हुआ था उस समय अभियुक्त संख्या–1 ने अभियुक्त संख्या 3 से कहा इसका घर मुंगेर बिहार में पड़ता है। इसका घर का भेरीफिकेशन जा कर लो प्रार्थी के साथ अभियुक्त संख्या–3 मुंगेर बिहार घर आया और प्रार्थी का घर और पता देखने के बाद प्रार्थी से 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये का मॉग किया तथा 2,90,000/– (दो लाख नब्बे हजार) रूपये में बात तय हो गई। जिसे दो से तीन दिन में अन्दर प्रार्थी के पिता एवं उनके मित्रगण के खाते से पैसा अभियुक्त–3 के खाते में ट्रान्सफर कर दिया गया। यह कि प्रार्थी पर दो महीने के बाद तो नौकरी से हटा दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि तीनों अभियुक्त ने एकमत होकर प्रार्थी का रूपया ठग लिया और प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया और इससे साफ यह भी जाहिर होता है कि अभियुक्तों के द्वारा प्रार्थी का रूपया ठग कर एक महिने के लिए ज्वानिंग करा दिया। यह कि रूपया का लेन–देन प्रार्थी के घर मुंगेर से हुआ है, इसलिए यह मुकदमा मुंगेर न्यायालय में किया जाता है। यह कि प्रार्थी इस हादसे से व्यथित होकर मुकदमा करने के पहले वकालतन नाटिस भी अभियुक्त को भेजा था। जिसका जबाव दिया दिनांक 10.04.2023 को अभियुक्त के द्वारा भेजा गया मिला और जिसमे पैसा लेन–देन की बात को अस्वीकार करता है, तब यह नालसी श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया जाता है यह मुकदमा न्यायालय में करने के पहले प्रार्थी कोतवाली थाना में मुकदमा करने गया तब थाना पर दरोगा जी बोले यह सब कम्पनी का केश है,

02.06.2026

लगातार

02.06.2026

इसे कचहरी में कीजिए तब यह नालसी श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया जाता है। यह कि अभियुक्तों के कार्य अवैध एवं अन्यायपूर्ण हैं। अतः, श्रीमान् से प्रार्थना है कि इस मुकदमा में संज्ञान लेकर अभियुक्तों को सम्मन कर उन्हें दण्ड देने का आदेश प्रदान किया जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि परिवादी रवि रंजन राय के परिवाद पत्र पर यह वाद दाखिल किया गया है। आवेदक के द्वारा इस न्यायालय के अलावा किसी भी निम्न अथवा उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह निर्दोष है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतः गलत है। चूँकि, उनके द्वारा 2,90,000/– रूपया दिया गया है। वाद में शपथपत्र परिवादी रवि रंजन राय की ओर से दिनांक 27.01.2026 को दाखिल किया गया है, जिसमें आपस में सुलह के आधार पर कोई केस नहीं रह गया है और आवेदक के द्वारा परिवारी को पैसा वापस कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाय।

02.06.2026

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि परिवाद पत्र संख्या 386 सी/2023 में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के द्वारा दिनांक 11.08.2023 को अभियुक्तगण मनोरंजन शर्मा, अमित कुमार सिन्हा एवं शिव कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420 भा0 द0 वि0 के तहत सम्मन आदेश पारित किया गया है और आवेदक शिव कुमार के द्वारा यह आवेदन दाखिल किया गया है। अभिलेख पर दिनांक 27.01.2026 का शपथपत्र परिवादी रवि रंजन राय का दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा ड्राफट सख्या 924475 के द्वारा रूपया प्राप्त करने की बात कही है और साथ ही आवेदक के द्वारा एकाउंट स्टेटमेंट भी दिया गया है। इस प्रकार, प्रस्तुत केस में शपथपत्र, एकाउंट स्टेटमेंट तथा लगाए गए आरोप देखने के पश्चात् आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित समझता हूँ। अतः, आवेदक को मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

1. **आवेदक अन्तर्गत धारा 482 (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के तहत शपथपत्र दाखिल करेंगे।**

लगातार

02.06.2026

2. **आवेदक प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करेंगे।**

3. **आवेदक शपथपत्र दाखिल करेंगे कि आवेदक द्वारा परिवादी को पैसा दे दिया गया है।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

विकास मिश्र

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 02.06.2026

Copy of order भेजा गया है
D.B. 49 / 03-06-2026